भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1817
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- किसानों के मुद्दे

1817. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान किसानों की वास्तविक आय में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सूखा या बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) जैविक खेती में लगे किसानों को अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी विशेष सहायता योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में कृषक परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन समय-समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित "कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। नवीनतम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें दौरे (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषिक परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है। एसएएस के निष्कर्षों के अनुसार, कृषक परिवारों की औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 में 6,426 रुपये से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपये हो गई है, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। चूंकि कृषक परिवारों की आय पर पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2019 में किया गया था, अतः विगत चार वर्षों के लिए कृषक परिवारों की औसत मासिक आय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, अधिकांश दावों का निपटान संबंधित राज्य सरकार से बीमा कंपनियों को आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाता है।

(ग): सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य जैविक क्लस्टर की स्थापना करना है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हो सके। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की अवधि में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जैविक खाद सहित ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट शामिल हैं। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्यवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणन हेतु 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सहभागिता गारंटी प्रणाली (पीजीएस)-भारत जैविक प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो किसानों को जैविक उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

*****